भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 344*

24 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष अवसंरचना के सुधार के उपाय

*344. श्री राजन बाबूराव विचारे:
श्री अरुण साव:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में आयुष सेवाओं सम्बन्धी अवसंरचना और उन सेवाओं की सुलभता के सम्बन्ध में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आयुष प्रणाली और दवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 24 मार्च, 2023 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 344* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में अवसंरचना में सुधार और आयुष् सेवाओं तक बेहतर पहुंच की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से अवसंरचना में सुधार और आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास के लिए भी राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है:

i. आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र (एएचडब्ल्यूसी)
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/ नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण
v. 50/30/10 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
viii. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास
ix. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

एनएएम के तहत, गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में संस्वीकृत/जारी की गई निधियों और उनके द्वारा सूचित व्यय की स्थिति **संलग्नक** पर है।

*****

संलग्नक

पिछले तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी राशि और राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित व्यय की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
		जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	जारी केंद्रीय हिस्सा	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	365.418	365.418	251.808	245.2765	296.0605	291.0605
2	आंध्र प्रदेश	1900.594	23.517	385.402	7.961	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	383.330	368.715	678.090	419.503	180.8500	0
4	असम	1601.322	960.189	347.150	228.62	639.5200	366.02
5	बिहार	2661.298	85.874	516.535	32.36	1686.0770	0
6	चंडीगढ़	0.000	0	195.808	70.39	94.8640	0
7	**छत्तीसगढ़**	**0**	**0**	**2691.066**	**1101.53**	**841.3090**	**231.79**
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	63.854	33.455	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	118.651	110.136	65.988	38.277	218.9880	0
11	गुजरात	2229.691	1,779.160	244.011	189.0900	466.9260	111.3600
12	हरियाणा	2299.475	2291.41	3034.422	2976.972	647.7020	552.634
13	हिमाचल प्रदेश	2045.892	1548.203	494.940	400.223	1261.800	531
14	जम्मू कश्मीर	1848.539	1747.227	2285.751	2143.1998	1313.105	1143.3548
15	झारखंड	1522.312	1390.913	0.000	0	1309.765	1059.758
16	**कर्नाटक**	**1791.709**	**1639.941**	**2184.371**	**1894.431**	**1821.460**	**1283.262**
17	केरल	1540.535	1451.5777	2337.588	2246.445	1153.388	1153.388
18	लद्दाख	0	0	0	0	187.4500	25.12
19	लक्षद्वीप	426.878	415.086	19.605	18.009	64.2570	45.216
20	मध्य प्रदेश	4012.347	3745.04	5608.633	5142.49	3123.1980	2575.189
21	**महाराष्ट्र**	**4308.643**	**2429.468**	0	0	0	0
22	मणिपुर	907.075	645.165	571.720	274.706	170.0400	48.826
23	मिजोरम	199.51	199.51	657.730	606.171	259.0800	227.67
24	मेघालय	348.21	312.942	247.970	79.194	609.7800	333.341
25	नगालैंड	950.58	950.58	1254.890	811.3975	232.2700	151.746
26	ओडिशा	726.096	352.8	716.640	468.85	1075.380	476.88
27	पुदुचेरी	238.416	212.067	47.667	46.613	200.2730	188.96
28	पंजाब	1155.493	14.103	89.770	0	527.2800	0
29	राजस्थान	1987.595	1228.62	2276.400	1246.388	3189.0000	45.504
30	सिक्किम	330.593	330.593	350.440	350.44	99.3000	99.3
31	तमिलनाडु	1993.913	1993.913	616.580	484.211	2348.2680	1822.242
32	तेलंगाना	934.178	687.121	0.000	0	3132.2520	2530.512

33	त्रिपुरा	0	0	270.080	133.74	138.7100	138.71
34	**उत्तर प्रदेश**	**7923.69**	**7688.082**	**10373.858**	**9649.9671**	**13809.7240**	**11764.91**
35	उत्तराखंड	825.34	721.827	656.458	508.66	2622.5040	1417.99
36	पश्चिमी बंगाल	1849.740	1236.832	247.346	56.294	2118.0450	1855.057
	कुल	**49490.917**	**36959.485**	**39718.716**	**31871.409**	**45838.626**	**30470.802**